BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 01 जनवरी, 2025 **थाना सिकन्द्राबाद**

धारा 107(1) बीएनएसएस के तहत की गयी कार्यवाही।

अवगत कराना है कि दिनांक 02.09.2024 को वादी हर्ष अग्रवाल पुत्र आलोक अग्रवाल निवासी अनाज मंडी कस्बा व थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर द्वारा थाना सिकन्द्राबाद पर सूचना दी गयी कि उसकी दुकान पर काम करने वाले संदीप, अनुज सैनी व भूरा उर्फ मोहसीन द्वारा दुकान के गल्ले से पांच लाख रुपये चुरा लिये गये हैं। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सिकन्द्राबाद पर मुअसं- 692/24 धारा 316(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

उक्त घटना के क्रम में दिनांक 02.09.2024 को थाना सिकन्द्राबाद पुलिस द्वारा तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से 1,02,237/- रुपये नगद व अभियुक्त संदीप से चोरी के रुपयों से खरीदी गयी 01 केटीएम बाइक व 01 मोबाइल फोन बरामद करते हुए अभियुक्तों को जेल भेजा गया था तथा मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी।

उक्त घटना के क्रम में धारा 107(1) बीएनएसएस के अन्तर्गत चोरी के रुपये से खरीदी गयी केटीएम बाइक व मोबाइल फोन को अभियुक्त संदीप के द्वारा अपराध कारित कर प्रत्यक्ष रूप से अर्जित सम्पति होने के फलस्वरूप माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बुलन्दशहर के द्वारा ज़िलाधिकारी बुलन्दशहर को दिनांक 13.11.2024 को नियमानुसार कुर्की/ज़ब्तीकरण का आदेश निर्गत किया गया । इसी क्रम में दिनांक 26.12.2024 को जिलाधिकारी बुलन्दशहर के आदेशानुसार थाना सिकन्द्राबाद पुलिस द्वारा जब्तशुदा केटीएम बाइक व मोबाइल फोन की नियमानुसार नीलामी की प्रक्रिया की गयी तथा नीलामी में केटीएम बाइक 2,01,000/- रुपये व मोबाइल के लिए 16,900/- रुपये (कुल- 2,17,900/- रुपये) प्राप्त हुए।

आज दिनांक 01.01.2025 को धारा 107(1) बीएनएसएस के अन्तर्गत जिलाधिकारी महोदय व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा नीलामी से प्राप्त कुल- 2,17,900/- रुपये वादी हर्ष अग्रवाल उपरोक्त को प्रदान किए गये।

मीडिया सेल बुलंदशहर